(B)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

प्रकरण क्र...../ R. 3020-III/14

1. फरीद खॉ आ.रशीद खॉ आयु 50 वर्ष,
2. फईम आ.रशीद खॉ आयु 45 वर्ष,
3. कमर आ.रशीद खॉ आयु 40 वर्ष,
4. अनीस आ.अब्दुल सलाम आयु 48 वर्ष,
5. जमील आ.लतीफ आयु वयस्क
6. मतीम आ.लतीफ आयु वयस्क
7. जावेद आ.लतीफ आयु वयस्क

सभी कृषक निवासी ग्राम दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र.....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. जमीला बी पुत्री रहमान खॉ आयु वयस्क
   निवासी 17/2 कमला पार्क, चोबदारपुरा,
   रेतघाट भोपाल म.प्र.
2. अनीस पुत्र सलीम खॉ आयु वयस्क
   निवासी–ग्राम दौराहा, तहसील श्यामपुर.....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 04/07/2014 जो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौराहा द्वारा प्रकरण क्र.3/अ–70/2013–14 में पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्तागण का एक पैत्रिक कृषि खाता भूमि सर्वे नं.145 रकबा 0.036 हेक्टेयर, खसरा नं.536 रकबा 0.299 हेक्टेयर, खसरा नं.537 रकबा 2.254 हेक्टेयर, सर्वे नं.620 रकबा 0.681, सर्वे नं.842 रकबा 1.813

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3020–दो/2014 जिला– सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री वी0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदकगण पूर्व से एक्स पार्टी है। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दौराहा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि दिनांक 04.07.14 के आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार दौराहा के समक्ष आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की पैत्रिक कृषि खाता भूमि सर्वे नं0 145 रकब 0.036 है0, खसरा नं0 536 रकबा 0.299 है0, खसरा नं0 537 रकबा 2.254 है0, सर्वे नं0 620 रकबा 0.681, सर्वे नं0 842 रकबा 1.813 कुल किता 5 रकबा 4.933 है0 जो ग्राम दौराहा में स्वत्व व आधिपत्य में स्थित है। जिसके संबंध में पूर्व प्र0क्र0 18/अ–27/2009–10 में दिनांक 30.07.12 को आवेदकगण द्वारा आपत्ति को निरस्त किया गया था। जिसमें आवेदकगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0,	

ग्वालियर कैम्प भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो प्र0क्र0 3499–दो/12 में नायब तहसीलदार दौराहा के आदेश दिनांक 30.07.12 निरस्त किया था। इसके पश्चात तत् समय न्यायालय अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 06.10.12 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का बटवारा स्वीकृत कर दिया गया । उक्त आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी, सिहोर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है। अतः अपील के निराकरण तक न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 250 की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया । इस आवेदन–पत्र के संबंध में नायब तसहीलदार दौराहा द्वारा विचारोपरांत धारा 250 कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं माना है । अतएव तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 के तहत निरस्त किया मैं भी नायब तहसीलदार दौराहा के इस आदेश से सहमत हूँ ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य